ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, मामला दर्ज

सादुलपुर, (निसं)। रेवाडी सादुलपुर रेल खंड पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।

इस सम्बन्ध में हमीरवास थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दयानन्द जाति धाणक निवासी गांव कांधराण ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसका पुत्र पवन कुमार उम्र 22 वर्ष 21 सितम्बर 2023 को सांय करीब 9 बजे लगभग घर से बाहर जा रहा था। तथा गांव कांधराण से हरपालू गाव के बीच रेल्वे लाईन पर चलती रेल गाडी की चपेट में आ गया। जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना का मौका निरीक्षण किया। एवं मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवा कर शव उसके परिजनों को सौंप दिया। तथा मामला दर्जकर जाँच शुरू कर दी है।

शहर को स्वच्छ, सुंदर रखना ही पहला मकसद : अनिल कुमार

मेले में भी दिखेगा के.के. गुप्ता के निर्देशों का असर

नवलगढ़, (निसं)। स्थायी एवं अनवरत लोक अदालत झुंझुनूं के न्याय मित्र एवं स्वच्छता अभियान राजस्थान के पूर्व ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता के दौरे और मार्गदर्शन का असर रामदेवजी के मेले में भी दिखाई देगा।

ईओ अनिल कुमार ने बताया कि गुप्ता के नवलगढ़ शहर के भ्रमण के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में निर्देशों की अक्षरशः पालना में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित "स्वच्छ भारत मिशन" योजनान्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण की क्रियान्विति के लिए निर्देशानुसार रामदेवजी महाराज के मेला परिसर में अवस्थित सार्वजनिक शौचालय को रेनोवेशन करवाया गया। उक्त शौचालय पर साफ-सफाई के लिए दो-दो कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिनके द्वारा प्रतिदिन तीन बार सफाई की जाती है। जिससे रामदेव महाराज के मेले में आने वाले दर्शनार्थियों-श्रद्धालुओं भी साफ-सफाई से प्रोत्साहित हो रहे है। इसके अतिरिक्त फायर स्टेशन के पास एवं नगरपालिका कार्यालय के सामने स्थित सार्वजनिक शौचालयों में प्रतिदिन साफ-सफाई करवाई जा रही है। उक्त शौचालयों का नगरपालिका के पुरूष एवं महिला कार्मिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

सार्वजनिक-सामुदायिक शौचालयों में रिकॉर्ड रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है। जिसमें उपयोगकर्त्ता अपना फीडबैक-शिकायत दर्ज करवा सकते है, के अतिरिक्त नगर पालिका द्वारा रामदेवजी मेला परिसर में मेला अवधि के विशेष रूप से रात्रिकालीन सफाई का कार्य करवाया जा रहा है तथा लावारिश जानवरों की रोकथाम के लिए बेरिकेटिंग एवं चारा-पानी की अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। जिससे मेले में किसी अपरिहार्य घटना से बचा जा सके। नगरपालिका की इस अनूठी पहल से बाबा रामदेवजी महाराज के लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सराहना की जा रही है। इस संबंध में आमजन से ऑनलाइन फीड बैंक प्राप्त हो रहे है।

रामदेवजी महाराज के मेला परिसर में अवस्थित सार्वजनिक शौचालय को रेनोवेशन करवाया गया।

- सार्वजनिक शौचालय का करवाया रेनोवेशन, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई

सफाई मित्रों का किया स्वास्थ्य परीक्षण

चूरू, (कासं)। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नगरपालिका रतननगर की ओर से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत एसबीएम शाखा द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में समस्त सफाई मित्रों की बीपी, सुगर सहित अन्य आवश्यक जांचे की गई। उल्लेखनीय है कि रतननगर की एसबीएम शाखा द्वारा उक्त अभियान गत 17 सितम्बर से प्रारम्भ किया गया था जो कि आगामी 25 सितम्बर तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान सफाई मित्रों को सफाई एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारियां चिकित्सकों एवं सफाई निरीक्षक द्वारा दी जा रही है। इस अभियान में अधिशाषी अधिकारी सत्यनारायण स्वामी, कनिष्ठ अभियंता मुकेश के सानिध्य में एसबीएम इंजीनियर दिनेश, सफाई निरीक्षक पुरूषोतम लाल, अशोक कुमार आदि के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर) जिला हनुमानगढ़

क्रमांक :- न.पा.रा./कृ.भू./2023/3739-3741 दिनांक 22.09.2023

प्रारूप-10

(नियम 6(7) देखिए)

लोक सूचना

श्री गजानन्द पुत्र श्री श्योचन्द (प्रजापति) निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़	24 डीडब्ल्यूडी	159/ 414(4)	किला नं.19/1 की 0.1510 है., में से 0.0130 है., यानि 130 वर्गमीटर कुल तादादी-0.1510है. में से 0.0130

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर) जिला हनुमानगढ़

क्रमांक :- न.पा.रा./कृ.भू./2023/3734-3736 दिनांक 22.09.2023

प्रारूप-10

(नियम 6(7) देखिए)

लोक सूचना

श्री सुखदेव सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह व सुखमन्दर सिंह पुत्र श्री गुरुदेव सिंह जाति जटसिख निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़	4 केडब्ल्यूडी	161/ 401(64)	किला नं. 6/5 की 0.0580 है., 7/1 की 0.0640 है., 8/4 की 0.0230 है., 13/1 की 0.0130 है., 14/3 की 0.0430 है.,15/4 की 0.0410 है., कुल तादादी 0.2420 है. या 2420 वर्गमीटर कुल तादादी- 0.2420 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर) जिला हनुमानगढ़

क्रमांक :- न.पा.रा./कृ.भू./2023/3729-3731 दिनांक 22.09.2023

प्रारूप-10

(नियम 6(7) देखिए)

लोक सूचना

श्री इन्द्रचंद पुत्र श्री भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावली तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक औद्योगिक (ईट भट्?टा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़	26 डीडब्ल्यूडी	132/ 34 (21)	किला नं. 16 की 0.2530 है.,17 की 0.2530 है., 18/1 की 0.1270 है. 23/1 की 0.1260 है., में से 0.0253 है., 24 की 0.2530 है. में से 0.0505 है., 25 की 0.2530 है. में से 0.0505 है. कुल तादादी 0.7593 है. या कुल तादादी- 0.7593 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर)

गोगा मेला आज

चूरू, (कासं)। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव झरिया की सिद्ध पीठ गोगामेड़ी धाम पर दो दिवसीय शुक्ल पक्ष में भरने वाला गोगा मेला 22 व 23 सितंबर वार रविवार को मेला दिन में ही भरेगा गोगामेड़ी धाम के भगत ओमप्रकाश स्वामी महाराज ने मेले में आने वाले श्रद्धालु भक्तों से आग्रह किया है की शांति व्यवस्था को एवं आपसी भाईचारे को बनाए रखना है और मेले में दर्शन करने हेतु व्यवस्था को बनाए रखना है। कैलाश चंद्र नव हाल ने बताया की मेले में आने वाले सभी श्रद्धालु भक्त नारियल धाम के बाहर ही बधारने की व्यवस्था की गई है।

श्रीलक्ष्मी गौपुष्टि महायज्ञ में संतों ने दी आहूति

सीकर, (निसं)। शहर के रामलीला मैदान में चल रहे श्रीलक्ष्मी गौपुष्टि महायज्ञ में शुक्रवार को अनेक स्थानों से आये संतो का सानिध्य मिला। संतो ने गौ पुष्टि महायज्ञ में श्रीसुक्त कनकधारा स्त्रोत व वैदिक गौ मंत्रों से एक लाख आहूतियां देकर जनकल्याण का संदेश दिया। संत रतिनाथ महाराज व रामजी बापू की स्मृति व श्री करणी गोपाल गौ धाम पालवास के पीठाधीश्वर चन्द्रमादास महाराज सानिध्य में चल रहे इस नौ कुण्डिय महायज्ञ में हर दिन वैदिक मंत्रों के साथ हवन किया जा रहा है।

आयोजन समिति के सह संयोजक हनुमान सिंह पालवास ने बताया कि इस दौरान गौसेवक साध्वी कपिला दीदी ने गौ कथा वाचन में गाय के पंचगव्य की महिमा का बताया। उन्होंनें बताया कि गाय के पंचगव्य दूध, घी, दही, गौबर व मूत्र से तैयार पंचगव्य सभी रोग.दोष को दूर करने वाला है। उन्होंने कहा कि आज खेती में ऐसा खाद काम में लिया जा रहा हैं जिससे उत्पन्न फसल मनुष्य के स्वभाव में व शरीर पर अनेक विकार पैदा करता है। साध्वी कपिला दीदी ने बताया कि गाय के गौबर की खाद के उपयोग से पैदा होने वाली फसल प्राकृतिक रूप से भी शुद्ध मानी जाती है। उन्होंने गाय के दूध व घी की महत्वता भी बताई। उन्होंने कहा कि गौपुष्टि महायज्ञ में पहली बार गाय माता के घी के साथ ही हवन में आहूति दी जा रही है। गौ कथा में मौनी बाबा महंत माधवदास, अमरदास, जानकीशरण, भगवानदास, रघुनंदनदास, अनन्तदास, कल्याणदास, रामदास, काशीनाथ महाराज का सानिध्य मिला।

सीकर जिले सहित आस.पास के हजारों लोगों व महिलाओं ने गौ कथा का श्रवण किया। आयोजन समिति के संयोजक शंकर भारती ने बताया कि गौपुष्टि महायज्ञ शेखावाटी के तीनों जिलों के अलावा उत्तरप्रदेश के अयोध्या सहित कई स्थानों से भक्त पहुंचेंगे। आयोजन में नेपाल काठमांडू के आचार्य मुकुन्द शास्त्री व हरिद्वार के ब्रदी विशाल शास्त्री यज्ञाचार्य है। गौपुष्टि महायज्ञ में हरिनाम कीर्तन, अखण्ड रामायण पाठ, सवा लक्ष्य महामृत्युंजय जप, भागवत पारायण पाठ व जीवंत गौ माता की सेवा चल रही है।

- रोग.दोष को हर लेता है गाय का पंचगव्यः साध्वी कपिला दीदी

शिव मंदिर में गणेश महोत्सव में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

चूरू, (कासं)। शिव कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में शिव मित्र मंडल की ओर से चल रहे सात दिवसीय गणेश महोत्सव में गुरूवार रात्रि को लोगों ने आस्था का परिचय दिया। लोगों में भगवान गणेष के प्रति आस्था का आलम यह था कि आरती के दौरान गणपति बप्पा मोरया के नारों से आसमां गुजांयमान हो गया। शिव मित्र मंडल के मोहित सैनी ने बताया कि द्वितीय गणेश महोत्सव में प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश जी महाराज की भव्य आरती की गई। आरती में भारी संख्या में महिलाओं भीड़ उमड़ी। गुरूवार को गणेश महोत्सव के मुख्य यजमान कमल कुमार सैनी ने सपत्निक आरती में भाग लिया। पदाधिकारियों ने बताया कि 23 सितम्बर को भव्य रात्री जागरण का आयोजन किया जायेगा। जिसमें झारिया धाम के महंत आकाशनाथ महाराज और सांवरमल अपनी मधुर वाणी से भजनों का रसपान करवायेंगे। इस अवसर पर हरीश पारीक, विकास सैनी, राजेश वर्मा, राजकुमार सैनी, हीरालाल सैनी, महेश शर्मा, दिनेश शर्मा, ओमप्रकाश जांगिड़, हर्ष जांगिड़, मयंक सैनी, मनोज गुर्जर, अभय सैनी, पीयूष राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष उपस्थित थे।

खोया-पाया

मेरी माता अनिता पत्नी राजेश पूनियां जाति जाट निवासी लुटाणा मगनी बास तह. राजगढ (चूरू) द्वारा खरीदशुदा जरिये इकरारनामा दिनांक 27.03.2006 को धर्माराम पुत्र सन्तलाल जाति खटीक वार्ड नं. 23 राजगढ तह. राजगढ (चूरू) की खातेदारी भूमि ख. नं. 66 कुल तादादी 13 बीघा 15 बिस्वा के हिस्सा 1/3 में से खरीदशुदा 1000 दरगज भूमि रोही कस्बा राजगढ चूरू सांखू रोड़ के पास स्थित खातेदारी की भूमि का इकरारनामा कहीं गुम हो गया है, मिलने पर नगरपालिका राजगढ़ (चूरू)में जमा करवा दूंगा।

सूचनाकर्ता/प्रार्थी
अनिल उम्र 19 वर्ष पुत्र स्व. राजेश पूनियां जाति जाट निवासी लुटाणा मगनी बास तह. राजगढ़ जिला चूरू (राज.)

उद्घोषणा (इश्तहार)

न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय महोदय, राजगढ जिला चूरू (राजस्थान)

प्रकरण संख्या -14 सन-2021

सुमित्रा देवी बनाम **सर्वसाधारण आदि**

वाद घोषित किये जाने सिविल डेथ नोटिस बनाम - सर्वसाधारण आम वा खास

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध वादीनी ने अपने पति शंकरराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल निवासी मिठड़ी बलवंतसिंह तहसील राजगढ जिला चूरू की सिविल डेथ घोषित करवाने हेतु इस न्यायालय में एक वाद संस्थापित किया है। इसलिए हर आम व खास राजस्थान व भारत सरकार के समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे इस वाद में कोई अपना किसी भी प्रकार का कोई हित रखते है तो वे इस न्यायालय में तारीख 31 माह 10 सन 2023 को दिन में 10.00 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होकर स्वयं या अपने प्लीडर के द्वारा अपनी आपत्ति व उजर प्रस्तुत करें अन्यथा आपके खिलाफ एक पक्षीय व आपको बिना सुने उक्त वाद का फैसला कर दिया जावेगा। यह नोटिस दिनांक 12 माह 09 सन 2023 को मेरे हस्ताक्षर से व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायाधीश
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय राजगढ (चूरू)

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.आर.जे.–अ.–18092023–248810
CG-RJ-E-18092023-248810
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड (ii)
PART II-Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 3932] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27,1945
No. 3932] NEW DELHI, MONDAY,SEPTEMBER 18,2023/BHADRA 27, 1945

रेल मंत्रालय
[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण–संगठन)]
अधिसूचना
जयपुर, 18 सितम्बर ,2023

का. आ. 4097 (अ).–केंद्रीय सरकार रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के चुरू जिले में विशेष रेल परियोजना **"चुरू–रतनगढ़ दोहरीकरण"** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिये आपेक्षित है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ को लिखित रूप से किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य चूरू– रतनगढ़ दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना हेतु (रतनगढ़ उपखण्ड के लिए) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला – चुरू

क्र.स.	उपखण्ड/तहसील का नाम	गॉव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	रतनगढ़	हनुमानपुरा	120	0.3541
			119	0.3794
			97	0.4485
			96	0.52685
			98	0.0379
2.		खुडेरा बिदावतान	2	0.0627
			3	0.2943
			4	0.0120
			5	0.2325
			8	0.7235
3		खुडेरा चारनान	20	0.0050
			23	0.1200

1023-DG/23

[फा.सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200 भाग–5]
वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

कार्यालय नगरपालिका मण्डल नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

क्रमांकः-न.पा.न./भूमि/PSKS/2023-24/5922 दिनांकः-22.09.2023

आपत्तिय-विज्ञप्ति

यत् निम्न आवेदक द्वारा उनके सामने अंकित कृषि भूमि नियमन पट्टे बाबत इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है। वांछित स्वीकृति जारी करने से पूर्व इस संबंध में आपत्तिय-विज्ञप्ति का एतद् द्वारा प्रकाशन किया जाकर विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 07 दिवस में आपत्तियां मय सबूत आमंत्रित की जाती है। बाद मियाद प्राप्त आपत्तिया पर कोई विचार नहीं होगाः-

क्र. सं.	पत्रावली सं.	नाम आवेदक/आवेदिका	ख.नं.	क्षेत्रफल (वर्ग गज)	पट्टे का प्रकार	वांछित स्थान का विवरण
1	6358	प्रीतम शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा	1408	366.66 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	पटवार घर के पास, नवलगढ़
2	6357	प्रकाश जोशी, आकाष जोशी पुत्रान किशोर कुमार जोशी	1408	183.33 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	पटवार घर के पास, नवलगढ़
3	6375	रहमत बानो पत्नी अब्दुल मुनाफ बारूदगर	532	211.11 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	पटवार हल्का नवलगढ़
4	6383	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह	128	139.40 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	कैलाश कॉलोनी, नवलगढ़
5	6361	सरिता मील पत्नी महेश कुमार मील	137	459.89 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	मोहब्बतसर, नवलगढ़
6	6360	ओम सिंह पुत्र गंगासिंह	307	200 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	दुर्जनपुरा, नवलगढ़
7	6362	सरिता मील पत्नी महेश कुमार मील	137	252.17 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	मोहब्बतसर, नवलगढ़
8	6373	सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल	1643	207.32 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	पटवार हल्का नवलगढ़
9	6378	राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र मन्ना लाल सैनी	1690	269.33 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	वार्ड नं. 05, रावता की ढ़ाणी, नवलगढ
10	6379	प्रीति देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार सैनी	1690	288.88 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	वार्ड नं. 05, रावता की ढ़ाणी, नवलगढ
11	6380	रामवतार रोलन पुत्र भानाराम	516	240.00 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	पटवार हल्का नवलगढ़
12	6381	अमरचन्द सैनी पुत्र सांवरमल सैनी	504/208	208.18 (आवासीय)	कृषि भूमि नियमन	दुर्जनपुरा, नवलगढ़
13	6385	भगवती देवी पत्नी गिरधारी लाल	-	77.04 (आवासीय)	स्टेट ग्रान्ट	वार्ड नं. 15, गुगा मण्डी के पास, नवलगढ़

(अनिल कुमार)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, नवलगढ़

कार्यालय पंचायत समिति तारानगर (चूरू)

क्रमांक :- एफ()/23-24/2361-64 दिनांक 22.09.2023

ई-निविदा सूचना संख्या 07/2023-24

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से पंचायत समिति मद से स्वीकृत कार्यों के सम्पादन हेतु दो वर्ष की डिफेक्टिव लाईब्लिटी पिरियड के साथ उपयुक्त श्रेणी के राजस्थान/केन्द्र सरकार में पंजीकृत संवेदकों से ई-टेण्डर प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा http://sppp.rajasthan.gov.in, https.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फिस	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	पंचायत समिति परिसर में मुख्य सड़क से नये विस्तार भवन तक इंटरलोक खरंजा मय सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य तारानगर	9.83	19660	1000	500	4 माह
2	नये विस्तार भवन प.स. के पास शौचालय निर्माण कार्य तारानगर	3.66	7320	1000	500	4 माह

ऑनलाईन फार्म डाउनलोड/अपलोड करने की दिनांक	दिनांक 23.09.2023 को समय प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 04.10.2023 को सांय 06.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क व अन्य दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 05.10.2023 को समय दोपहर 01.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक	तकनिकी निविदा खोलने के बाद

निविदा संबंधित विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

(संजय कस्वां)
प्रधान
पंचायत समिति, तारानगर (चूरू)

(रविन्द्र कुमार शर्मा RRDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, तारानगर (चूरू)